

प-54 / 1-कान / पार्क /

राजस्थान सरकार  
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(3)खान / ग्रुप-1 / 2012 / पार्ट-2

जयपुर, दिनांक-23.02.2017

-: आदेश :-

विभाग के आदेश क्रमांक:प.1(4)खान / ग्रुप-1 / 2012 दिनांक 10.01.2017 द्वारा श्री महेश शर्मा, खनि अभियन्ता, बाडमेर की सेवार्य प्रतिनियुक्ति पर लोकायुक्त सचिवालय में रिक्त सहायक सचिव पद पर किये जाने के फलस्वरूप खनि अभियन्ता, बाडमेर का रिक्त पद का कार्य सहायक खनि अभियन्ता, बाडमेर अपने मूल पद के कार्य के साथ-साथ अग्रिम आदेश तक अतिरिक्त रूप से निष्पादित करेंगे ।

आज्ञा से,

23/02/17  
(नसीरुद्दीन कुरैशी)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री खनिज, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना करवाकर सूचना इस विभाग को भिजवाने के साथ ही श्री महेश शर्मा, खनि अभियन्ता की लोकायुक्त सचिवालय में उपस्थिति सुनिश्चित करवाकर उपस्थिति सूचना इस विभाग को अविलम्ब प्रस्तुत करें ।
6. अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर ।
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर ।
8. खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बाडमेर ।
9. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बाडमेर ।
10. रक्षित पत्रावली ।

23/02/17  
वरिष्ठ शासन उप सचिव


P.T.O.

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।

क्रमांक:-निदे/नियु/1/प-54/स्थाना/पार्ट/220-228 दिनांक 08.03.2017

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर/मुख्यालय-निदेशालय, उदयपुर ।
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर ।
3. खनि अभियन्ता, बाड़मेर ।
4. श्री भगवान सिंह, सहायक खनि अभियन्ता, द्वारा-खनि अभियन्ता, बाड़मेर ।
5. अतिरिक्त निजी सचिव(निदेशक)/निजी सहायक(अनिप्र)/सूचना सहायक(नियुक्त), निदेशालय, उदयपुर ।
6. व्यक्तिगत पत्रावली श्री भगवान सिंह ।



(अम्बिका प्रसाद शर्मा)  
प्रशासनिक अधिकारी(नियुक्त)